



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 5494 वर्ष 2025

मुजम्मिलआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : ए.सी. श्रीवास्तव, अशफाक अहमद अंसारी विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., सुधीर कुमार अग्रवाल

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.सी. श्रीवास्तव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार अग्रवाल तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 269 वर्ष 2024, धारा 103(1), 3(5), 61(2), 238 BNS, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।
4. अभियोजन की कहानी के अनुसार, आवेदक के साथ अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने पंजीकरण संख्या HR-36-V-3562 की एक कार से सूचनादाता के घर आकर उसके पिता मुरसलीन को, जिन्होंने भूमि लेनदेन के संबंध में उनसे 43 लाख रुपये की राशि प्राप्त की थी, उठा ले जाने का कार्य किया। यह आगे आरोपित है कि तत्पश्चात आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने गोली चलाकर मुरसलीन की हत्या कर दी।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपराध की सूचना पुलिस को दिनांक 24.10.2024 को लगभग दोपहर 02:45 बजे प्राप्त हुई, और सूचनादाता को लगभग शाम 05:00 बजे सूचित किया गया, जिसके पश्चात वह घटनास्थल पर पहुंचा। पंचनामा कार्यवाही शाम लगभग 07:20 बजे संपन्न हुई। यह तर्क दिया गया है कि पंचनामा कार्यवाही के समय सूचनादाता एवं मृतक के अन्य परिवारजन उपस्थित थे किंतु उन्होंने आवेदक या किसी भी अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। तत्पश्चात उसी दिन रात 09:26 बजे आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि यद्यपि उक्त उद्देश्य एक संपत्ति की बिक्री के करार तथा मृतक द्वारा आवेदक के पिता को 43 लाख रुपये अंतरित किए जाने से संबंधित है, किंतु स्वयं आवेदक का उक्त अपराध करने का कोई उद्देश्य नहीं था। यदि कोई उद्देश्य था भी, तो वह केवल आवेदक के पिता पर आरोपित होता।
7. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि दो प्रत्यक्षदर्शियों, यथा नौशाद और रिफाकत के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें उन्होंने आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध का कर्ता बताया है। आगे यह भी कहा गया है कि विभिन्न स्थानों से एक्त्रित सीसीटीवी फुटेज में केवल कथित वाहन की आवाजाही दिखाई देती है। उक्त फुटेज में आवेदक स्पष्ट रूप से पहचान योग्य नहीं है तथा उसे कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया बताया गया है। मृतक कार की अगली सीट पर बैठे दिखाई देते हैं, जबकि दो अन्य व्यक्ति पिछली सीट पर बैठे दिखाई देते हैं जो अज्ञात हैं। यह तर्क दिया गया है कि वाहन में केवल उपस्थिति, बिना किसी स्पष्ट पहचान या आवेदक को आरोपित भूमिका के, अपराध में उसकी संलिप्तता स्थापित नहीं करती, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
8. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कुछ साक्षियों, यथा डॉ. रिजवान, रशीद, आरिफ और अरशद के बयान विलंब से एवं एक सोचे-समझे विचार के रूप में केवल अभियोजन की कहानी को रंग देने और आवेदक को झूठा फंसाने के लिए दर्ज किए गए हैं।
9. विद्वान अधिवक्ता ने अंततः कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। वह दिनांक 24.10.2024 से जेल में बंद है और उसके पक्ष में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
10. इसके विपरीत, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दो प्रत्यक्षदर्शियों, यथा नौशाद और रिफाकत द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।
11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दो प्रत्यक्षदर्शियों, यथा नौशाद और रिफाकत द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया है, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का उचित मामला नहीं मानता।
12. जमानत आवेदन तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को यदि कोई विधिक बाधा न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2015 (3) SCC 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2017) 5 SCC 702 के मामलों में निर्धारित हालिया निर्णयों के सिद्धांत के दृष्टिगत शीघ्रता से निर्णीत किया जाए।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 13 जनवरी, 2026 सिद्धांत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"